

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक : एल-9/3/2005/ब-7/डी.एम.सी./चार 1681

भोपाल, दिनांक 29 मई, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय : - वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न ऋणों पर ब्याज की दर का निर्धारण।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान स्वीकृत किये गये ऋणों के लिये ब्याज की दरें निम्नानुसार रखने का निर्णय लिया गया है। ये दरें क्रमशः दिनांक 01.04.2009 एवं 01.04.2010 से प्रभावशील रहेंगी।

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिवर्ष दर 2009-10	प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिवर्ष दर 2010-11
01.	कृषक ऋण अधिनियम तथा भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अन्तर्गत ऋण, वन तकावी व अन्य तकावी सहित 1. चार वर्ष व इससे कम अवधि के ऋण 2. चार वर्ष से अधिक अवधि के ऋण	9.00 10.50	9.00 10.50
02.	प्राकृतिक विपदाओं में हुए कष्टों में राहत देने के लिये कृषकों व अकृषकों को ऋण	9.00	9.00
03.	(क) एक करोड़ से कम अंशपूजी वाली सहकारी संस्थाओं को ऋण (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों और एक करोड़ से अधिक अंशपूजी वाली सहकारी समितियों को ऋण 1. निवेश ऋण (Investment Loans) 2. नगद कमी या कार्य चालन पूंजी को पूरा करने के लिये ऋण (Working Capital Loans and Loans to meet cash losses) अधिकतम 5 वर्ष	11.50 14.50 14.50	11.50 14.50 14.50
04.	शहरी क्षेत्रों में अस्थायी जल कष्ट निवारण (आयोजना एवं आयोजनेतर)	11.50	11.50
05.	उपद्रवों से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण	9.00	9.00
06.	डाकुओं से पीड़ित व्यक्तियों / परिवारों को ऋण	9.00	9.00
07.	वन अधीक्षकों को बंदूक क्रय करने हेतु ऋण	12.00	12.00
08.	बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु ऋण (अ) राज्य शासन को प्राप्त ऋण जिसे राज्य शासन द्वारा अंशतः अनुदान एवं शेष ऋण के रूप में हस्तांतरित किया गया। (ब) राज्य शासन को प्राप्त ऋण जिसे पूर्णतः ऋण के रूप में हस्तांतरित किया गया।	10.50 10.50	14.50 10.50
09.	राज्य शासन द्वारा तदर्थ आधार पर प्राप्त ऋण (शैक्षणिक अन्य सामाजिक सेवा संस्थायें तथा अन्य व्यक्तिगत ऋण)	11.50	11.50
10.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	उन्ही दरों पर जिस पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है।	उन्ही दरों पर जिस पर राज्य शासन को ऋण प्राप्त होता है।

11.	दाण्डिक ब्याज	सामान्य दर से 3.00 प्रतिशत अधिक	सामान्य दर से 3.00 प्रतिशत अधिक
-----	---------------	---------------------------------	---------------------------------

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल / विद्युत कम्पनियों, (वितरण, उत्पादन, ट्रेडिंग) को आयोजनागत ऋण कण्डिका 3 (ख) 2 में उल्लेखित दर पर राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अमित राठौर)

संचालक बजट


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक : एल-9/3/2005/ब-7/डी.एम.सी./चार | 682

भोपाल, दिनांक 29 मई, 2010

प्रतिलिपि:-

01. राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
 02. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।
 03. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
 04. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
 05. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 06. सचिव, लोक आयुक्त मध्य प्रदेश, भोपाल।
 07. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
 08. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल।
 09. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश भोपाल।
 10. रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
 11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
 12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 13. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल।
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
 15. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
 16. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी)।
 17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल।
 18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्य प्रदेश।
 19. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्य प्रदेश।
 20. सभी कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
 21. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
 22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त संगठन / संघों की
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित।



(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त
विभाग